न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय,सोनपुर सारण।

उपस्थित–अनुराग मिश्र

बंटवारा वाद सं0–181 सन् 1989

गोरख साह...............................वादी।

बनाम

शिवनंदन साह वगैरह...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 13.05.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.03.2015 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में गवाही चल रही है तथा वादी के तरफ से बहुत से कागजात दाखिल किए गए हैं जिसे प्रदर्श अंकित करने के लिए अलग से आवेदन पत्र वादी के तरफ से दाखिल किया है। वादी द्वारा दाखिल कागजात में से एक इतलाई सवाल की बजाप्ता कॉपी दाखिल की गई है जो दिनांक–18.05.1984 को वादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सारण के यहा पंजीयन कराया गया था। कानून मुताबिक इतलाई सवाल का मूल प्रति कलक्टर साहेब के रेकर्ड रूम में जमा हो जाता है। इसलिए वादी द्वारा दाखिल बजाप्ता नकल इतनाई सवाल को तसदीक करने के लिए उसका मूल प्रति तलब करने के लिए डिप्युटी इंचार्ज, रेकर्ड रूम, सारण समाहरणालय पर सम्मन जारी करके इतलाई सवाल की मूल प्रति तलब करना आवश्यक है। ताकि वादी द्वारा दाखिल उक्त इतलाई सवाल का विधिवत प्रदर्श अंकित कराया जा सके। अतः निवेदन है कि उपरोक्त बयान पर सम्यक विचार करके जिला पदाधिकारी के रेकर्ड रूम के डिप्युटी इंचार्ज पर इतलाई सवाल की मूल प्रति इस अदालत में तलब करने के लिए सम्मन जारी करके आदेश देने की कृपा की जाए, ताकि मूल इतलाई सवाल इस अदालत में तसदीक करने के लिए प्रस्तुत हो सके।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 13.05.2025 को दाखिल कर वादी के उपरोक्त आवेदन का विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि वादी अपने कथनानुसार जब तक इतलाई सवाल की सच्ची प्रतिलिपि अभिलेख पर नहीं लाता है तब तक उसे मूल इतलाई सवाल वो तलब करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसके कारण वादी के उक्त आवेदन खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा प्रदान की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के कथनानुसार दिनांक–18.05.1984 को वादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सारण

के यहा पंजीयन कराया गया था, जिसको डिप्युटी इंचार्ज, रेकर्ड रूम, सारण समाहरणालय पर सम्मन जारी करके इतलाई सवाल की मूल प्रति तलब करवाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि वादी द्वारा दाखिल कागजात में से एक इतलाई सवाल की बजाप्ता कॉपी दाखिल की गई है जो दिनांक–18.05.1984 को वादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सारण के यहा पंजीयन कराया गया था। कानून मुताबिक इतलाई सवाल का मूल प्रति कलक्टर साहेब के रेकर्ड रूम में जमा हो जाता है। इसलिए वादी द्वारा दाखिल बजाप्ता नकल इतनाई सवाल को तसदीक करने के लिए उसका मूल प्रति तलब करने के लिए डिप्युटी इंचार्ज, रेकर्ड रूम, सारण समाहरणालय पर सम्मन जारी करके इतलाई सवाल की मूल प्रति तलब करना आवश्यक है। वादी का यह कहना कि डिप्युटी इंचार्ज, रेकर्ड रूम, सारण समाहरणालय पर सम्मन जारी करके इतलाई सवाल की मूल प्रति की मांग करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और न ही न्यायालय अपने ओर से वादी का वाद साबित करने के लिए और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए वादी को मौका दे सकता है। चूंकि वाद वर्ष–1989 का है तथा उभय पक्षों का साक्ष्य काफी पूर्व में ही बंद किया जा चुका है। तथा वादी की ओर से आवेदन वर्ष 2015 में दाखिल कर वर्तमान में प्रचालित किया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि वादी वाद को लंबित रखने के ख्याल से आवेदन प्रचालित कर रहे हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–10.03.2015 पोषणीय नहीं है। वाद दिनांक......................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।